न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 1549/2018

अजीत सिंह पुत्र देवीसिंह
जाति राजपूत निवासी रामकुटी होटल अजमेर रोड पुष्कर तहसील पूष्कर
जिला अजमेर

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
2. अजमेर विकास प्राधिकरण जिला अजमेर

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 , 136 एंव 128 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956 सपठित धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री शिवचरण शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी

—: निर्णय :— दिनांक 23.03.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 , 136 भू0 रा0 अधिनियम 1956 सपठित धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का अप्रार्थीगण के विरूद्व इस तथ्य के साथ प्रस्तुत किया कि ग्राम मोतीसर के वर्किंग खसरा सख्या 1430 के आधार खसरा सख्या 962 रकबा 0.81 है0 मूल खातेदार से प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23.7.2005 को खरीद कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया गया। वर्किंग नक्शे से वर्तमान नक्शा बनाने में भू प्रबन्ध विभाग ने प्रार्थी का रकबा लगभग 1—3—10 बीघा कम दर्शाया है जिसे दुरूस्त फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किया गया । राजहित प्रभावित नहीं होने से सरकार पेरोकार का जवाब बंद किया जाता है । अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अतः पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय होने से स्वीकार किया जाता है । **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम मोतीसर तहसील पीसागंन के वर्तमान जमाबदीं खसरा सख्या 962 रकबा 0.81 है. आधार नक्शा ट्रेस में सम्पूर्ण रकबा का अकंन किया जाकर वर्तमान नक्शे में तरमीम फरमावें तदनुसार नियमानुसार प्रार्थी से शुल्क लिया जाकर पत्थरगढी की जावे।**

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसागंन

उपखण्ड अधिकारी पीसांगन (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.09.06 15:15:33 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी — श्री समदर सिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या — 1549 / 2018

अजीत सिंह पुत्र देवीसिंह
जाति राजपूत निवासी रामकुटी होटल अजमेर रोड पुष्कर तहसील पूष्कर
जिला अजमेर

..प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार पीसागंन
2. अजमेर विकास प्राधिकरण जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 , 136 एंव 128 रा0 भू0 रा0 अधिनियम 1956
सपठित धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :— श्री शिवचरण शर्मा — अभिभाषक प्रार्थी

—: डिकी :— दिनांक 23.03.2021

श्री समदरसिंह भाटी उपखण्ड अधिकारी पीसागंन व श्री शिवचरण शर्मा वादी मुद्दई पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रार्थना पत्र इस प्रकार स्वीकार किया जाता है **तहसीलदार पीसागंन को आदेश दिये जाते हैं कि वह ग्राम मोतीसर तहसील पीसागंन के वर्तमान जमाबदीं खसरा सख्या 962 रकबा 0.81 है. आधार नक्शा ट्रेस में सम्पूर्ण रकबा का अकंन किया जाकर वर्तमान नक्शे में तरमीम फरमावें तदनुसार नियमानुसार प्रार्थी से शुल्क लिया जाकर पत्थरगढी की जावे।**

वदखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23.03.2021 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अर्जी दावा	स्टाम्प अर्जी
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	फीस कमिश्नर
फीस कमिश्नर	खर्चा गवाहान
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुकमनामा
बाबत इजराय हुकमनामा	बाबत इजराय हुकमनामा
तफरीस	मुतफरीस
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी पीसागंन (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2021.09.06 15:15:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलक्टर
पीसांगन